हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जून, 2014

संख्या लैज० 20/2014.—दि पंजाब न्यू कैपिटल (पेरीफेरी) कन्ट्रोल (हरियाणा अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2014 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 10 जून, 2014 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014

पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952,
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप म यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) अधिनियम 2014, कहा जा सकता है।

1953 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 2 का संशोधन। 2. पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मू अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएग अर्थात्:—

'(1क) "आबादी देह" से अभिप्राय है, पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकर रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) के अधीन बनाए गए पू पंजाब जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) नियम, 1949 के अधीन चकबंदी के सम निर्धारित फिरनी के रूप में भी सामान्य रूप से ज्ञात गांव आबादी के चारों ओर सर्कुल रोड के भीतर आने वाला क्षेत्र ;

परन्तु यदि ऊपर तथा वर्णित फिरनी, उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित नहीं की गई है, तो आबादी देह से अभिप्राय होगा, लाल डोरे के भीतर आने वाला क्षेत्र;'।

1953 के पंजाब अधिनियम 1 की धारा 15 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 15 में, –

(i) खण्ड (ङ) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा तथा 30 अक्तूबर, 2012 से जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(च) किसी गांव की आबादी देह में समाविष्ट कोई क्षेत्र।"।

आराधना साहनी,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।